न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 11/21 **सन् 2021**

जीसीएमएस संख्या 2021/93

बउनवानी–ठाकुर मीन भगवान गौशाला भगवतगढ, प्राईवेट ट्रस्ट जरिये अध्यक्ष रामजीलाल पुत्र रामकरण मीना निवासी भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा, जिला स0मा0

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार/तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 517/2020 निर्णय दिनांक 20.3.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री गजानन्द गोयल — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

:– निर्णय :– **दिनांक 11.8.2021**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 517/2020 में पारित निर्णय दिनांक 20.3.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में वाके ग्राम भगवतगढ–ए तहसील चौथ का बरवाडा की गै0मु0 चरागाह भूमि आराजी ख0न0 1459 रकबा 0.50 है0 पर सरसों की फसल काश्तकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है क्योकि अपीलान्ट को पत्रावली संख्या 184/20 का नोटिस मिला था जिसका जवाब दिनांक 7.9.20 को पेश कर दिया था तथा जवाब के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र व वाद उनवानी ठाकुर मीन भगवान गौशाला बनाम राजस्थान राज्य मु.न. नम्बर 1/19 दिनांक 26.3.2019 की नकले पेश की गयी थी। जिसमे सिविल जज व0ख0 सवाईमाधोपुर द्वारा मौका कमिश्नर से मंगाई कोई मौका रिपोर्ट भी संलग्न की गयी थी। जिससे मौके पर गौशाला है एवं गाय व बैलों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गयी है गौशाला का बोर्ड भी लगा हुआ है परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं [illegible] तहसीलदार ने फर्जीयत रचते हुए पत्रावली से निकालकर अतिक्रमण हटाने बाबत [illegible] 20.3.2020 मे निर्णय पारित कर दिया है। राजस्थान राज्य द्वारा चरागाह [illegible] लिए आवंटित कर रखा है। अपीलान्ट व अन्य ग्राम वासियों द्वा[illegible] 1459 पर गौशाला [illegible] रखी है जिसमे असहाय गौवंश की सेवा एवं उनके चारे हेतु चरी की [illegible]ल काश्त की जाती है [illegible]मि पर सरसों की फसल काश्त नही की जाती है। यह तर्क भी दि[illegible] कि चरागाह भूमि गौव[illegible] लिए होती है जिसके संबंध मे राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नही रहता है तथा बिना ग्राम पंचायत की शिकायत के धारा 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। यह तर्क भी दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट व्यक्तिगत रूप से कृषि कार्य नही करता है। इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है। क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया है। न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी दिया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.3.2021 को प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की गौशाला के कामदार से विधिवत करवायी गयी तामील से हो जाती है। किन्तु उक्त नोटिस की पालना में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कोई जवाब नोटिस पेश नही किया है। अपीलान्ट द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के गौशाला का संचालन किया जाना बताकर गौशाला की आड में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेर अपील से अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से बेदखल कर कोई कानूनी भूल नही की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहेत द्वारां आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है अपीलान्ट का यह तर्क सही नही है कि गौशाला हेतु चरागाह भूमि का उपयोग बिना स्वीकृति के किया जा सकता है क्योकि मान्यता प्राप्त गौशालाओं हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान दिया गया है यदि कोई व्यक्ति या संस्था अवैधानिक रूप से गौशाला संचालन की आड मे किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगा तो संबंधित तहसीलदार को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि गौशाला हेतु अधीकृत की गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट गौशाला हेतु भूमि आवंटन के लिए नियमानुसार प्रस्ताव जिला कार्यालय को भिजवाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर